

कार्यालय नगर निगम, बेगूसराय।

पत्रांक...../दिनांक...../

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
शहरी स्थानीय निकाय,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1, महालेखाकार कार्यालय,
बिहार, पटना।

विषय:-

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-152/16-17 के PART-II (B) की कंडिका सं0-1, 4, 7 एवं 8 की अनुपालन की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-152/16-17 की लंबित कंडिका -7(घ), 8(i), 15(iv), 16(iii), 16(iv), 17 एवं 18(i) से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन सभी अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुरोध है कि संलग्न प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक:-यथावर्णित

—
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

ज्ञापांक.....2067...../दिनांक.....01/7/19...../

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, नगर निकाय एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

—
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

7276
05-08-19

JS(A.K)
05-08-19

50-7
06-08-19

श्री. क. व. र. र.
6/8/19

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-152/16-17 के PART-II (B) की कंडिका सं0-1, 4, 7 एवं 8 की अनुपालन से संबंधित।

| क्र0 | कंडिका सं0 | कंडिका की विषय वस्तु | अनुपालन की स्थिति |
|------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 4.70 लाख का सीधा विनियोजन किया गया है। सीधा विनियोजन रोकने हेतु एवं उसकी प्रति पूर्ति हेतु आपके कार्यालय द्वारा किये गये प्रयास से संबंधित। | वर्तमान में सीधा विनियोजन नहीं किया जा रहा है। |
| 2 | 4 | 127.8 (नकद 122.80 लाख एवं चेक द्वारा जमा 5.28 लाख की राशि का बैंक खाता में जमा नहीं पाये जाने की आपत्ति के विरुद्ध आपके कार्यालय द्वारा जबाव दिया गया था कि वसूली गयी राशि एवं जमा की गयी राशि की विस्तृत विवरणी बनाकर लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। | (i) नकद जमा की गई राशि का स्टेटमेंट, साक्ष्य में बैंक स्टेटमेंट संलग्न। (ii) एम0आर0 वाइज डिटेल संलग्न। (ii) चेक से प्राप्त राशि का समेकित विवरणी एवं साक्ष्य में बैंक स्टेटमेंट की प्रति संलग्न। |
| 3 | 7 | लेखा परीक्षा में 307.95 लाख मूल्य का भाउचर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में है। इन भाउचर को उपलब्ध करवाने हेतु आपके कार्यालय द्वारा किये गये प्रयासों से अवगत कराया जाय। | तत्कालीन कार्यवाहक सहायक को निर्देशित किया गया है कि उक्त कंडिका के आलोक में यथाशीघ्र अभिश्रव कार्यालय में नाजीर को उपलब्ध कराएं। इनके द्वारा कुछ अभिश्रव उपलब्ध कराया गया जो पारित नहीं है। |
| 4 | 8 | स्टेटमेंट ब-सैरात विभागीय वसूली नहीं किये जाने के संबंध में 26775302/- की हानि हुई है। इस राशि की वसूली हेतु आपके कार्यालय द्वारा वर्तमान में उठाये गये कदमों से इस कार्यालय को अबतक अवगत नहीं कराया गया। | कार्यालय द्वारा 31.03.2013 को मध्य रात्रि में वित्तीय वर्ष 2013-14 को बन्दोवस्ती के लिए भिन्न-भिन्न तिथि को बन्दोवस्ती सूचना निकाला गया, परन्तु कोई डाक वक्ता की उपस्थिति नहीं होने के उपरांत विभागीय वसूली तत्कालीन नगर प्रबंधक, श्री अमित कुमार के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के रूप में दिनांक-05.07.2013 तक की वसूली गयी राशि नजारात में जमा किया गया है। तत्पश्चात् तत्कालीन पदाधिकारी एवं माननीय महापौर महोदय के आदेशानुसार कार्यालय पत्रांक-2069 दिनांक-04.07.2013 के द्वारा दिनांक-06.07.2013 से दिनांक-31.03.2014 तक के लिए मो0 4716713/- रुपये में बन्दोवस्ती किया गया है। जो दर्शाया गया स्टेटमेंट 6400000/- पर ही शेष अवधि के लिए किया गया है। इस तरह विभागी वसूली की राश एवं अनुपातिक बन्दोवस्ती की राशि दोनों को मिलाकर कुल वसूली राशि होगा। अतः उक्त आलोक में आपत्ति का निराकरण हेतु कार्यालय पत्रांक-2069 दिनांक-04.07.2013 एवं 05.07.2013 को सशक्त स्थायी समिति के द्वारा लिया गया निर्णय का प्रति इसके साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित। |

नगर आयुक्त
नगर निगम बेगूसराय